



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238974
CG-DL-E-21092022-238974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4196]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4196]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4380(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन अधिकारी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 97) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH24 के कि.मी. 18.5 से कि.मी 41.532 तक जिलों, तालुकों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर-जमानिया-सैयदराजा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 97) की बाबत भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप जिलाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	चन्दौली	सकलडीहा	1 बघरी

	चंदौली	NH24 के कि.मी. 18.5 से 41.532 तक			चन्दौली	<table><tr><td>1</td><td>बरडीहा</td></tr><tr><td>2</td><td>कैथी</td></tr><tr><td>3</td><td>रैपुरी</td></tr><tr><td>4</td><td>ववुरा खास</td></tr></table>	1	बरडीहा	2	कैथी	3	रैपुरी	4	ववुरा खास
1	बरडीहा													
2	कैथी													
3	रैपुरी													
4	ववुरा खास													

[फा. सं. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4380(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for KM.18.5 To KM41.532 building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No 24 (Old National Highway No. 97) in the State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on Ghazipur - Zamania- Saiyedraja road National Highway No. 24 (Old National Highway No. 97) in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub District Magistrate Chandauli	18.5KM To 41.532KM	UTTAR PRADESH	CHANDAULI	Sakaldiha	1 Baghri
					Chandauli	1 Bardiha
						2 Kaithi 3 Raipuri 4 Vavura Khas

[F. No. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2022]

RAJESH GUPTA, Director